रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042024-253672 CG-DL-E-12042024-253672

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1623]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2024/चैत्र 23, 1946

No. 1623]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2024/CHAITRA 23, 1946

### श्रम और रोजगार मंत्रालय

### अधिसचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2024

का.आ. 1708(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि लौह अयस्क खनन में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 16 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवाएं है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4424(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2023 द्वारा तारीख 14 अक्तूबर, 2023 से छह मास की अविध के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया हैं;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगिता सेवा के रूप में प्रास्थिति को छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, जो इस प्रकार है:-

2546 GI/2024 (1)

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लोक उपयोगिता सेवाएं (पहला आदेश) 2024 है।
  - (2) यह 14 अप्रैल, 2024 को प्रवृत होगा।
- 2. केंद्रीय सरकार, लौह अयस्क खनन में लगी हुई सेवाओं को 14 अप्रैल, 2024 से छह मास की और अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/06/2024-आईआर (पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल आदेश भारत के राजपत्र, भाग-II खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4424(अ) तारीख 11 अक्तूबर 2023 द्वारा प्रकाशित हुआ था।

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2024

**S.O. 1708(E).**—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Iron Ore Mining, which is covered under item 16 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 14<sup>th</sup> October, 2023 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4424 (E), dated the 11<sup>th</sup> October, 2023;

And whereas, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the status of the said industry as public utility service for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby issues the following order as follows: -

- 1. **Short title and Commencement. -** (1) This order may be called the Public Utility Services (First Order) 2024.
  - (2) It shall come into force on the 14<sup>th</sup> day of April, 2024.
- 2. The Central Government hereby declares the services engaged in the Iron Ore Mining to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from 14<sup>th</sup> April, 2024.

[F. No. S-11017/06/2024-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

**Foot note. -** The Principle order was published in the Gazette of India, Part-II. Section 3, Sub-section (ii) vide number SO. 4424(E) dated the 11<sup>th</sup> October, 2023.